



# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र - (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: [dforkt@yahoo.co.in](mailto:dforkt@yahoo.co.in)

पत्रांक-  
सेवा में,

3012

/ रेनुकूट / 15-258

दिनांक, रेनुकूट, मार्च,

०५

, 2021

✓ मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र  
मीरजापुर ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत पिपरी रेंज में नगर पंचायत रेनुकूट द्वारा जोकाही वन ब्लाक, मुर्घवा दक्षिणी बीट कम्पार्टमेंट नम्बर 14 अ में अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी एवं आर०ओ० व शौचालय निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9594 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं प्रभावित 65 वृक्षों के पातन की अनुमति संबंधी ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/DISP/49674/2020 प्रेषित किये जाने के संबंध में ।

संदर्भ:-

1-इस कार्यालय का पत्र संख्या- 2869/रेनुकूट/15-275 दिनांक- 22.02.2021  
2-आपका पत्रांक- 3454/मी०क्षे०/33 दिनांक- 23.02.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक- 23.02.2021 द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण कराते हुए प्रस्ताव की चार प्रतियाँ निम्नानुसार संस्तुति सहित अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर का पत्रांक- 3454/मी०क्षे०/33 दिनांक- 23.02.2021 में अंकित बिन्दु	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि 0.9594 हे० उल्लेख किया गया है जबकि प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-104 व 105 में वनभूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित जियो रिफ्लेन्सड मानचित्र में 0.9234 हे० एवं 0.02 हे० कुल 0.9434 हे० उल्लेख है। स्पष्ट करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना में कुल 0.9594 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है जिसमें एक पैच 0.9234 हे० एवं दूसरा पैच 0.0360 हे० का है । 0.0360 हे० के स्थान पर त्रुटिवश 0.02 का मानचित्र संलग्न हो गया था जिसे संशोधित करते हुए 0.0360 हे० का संशोधित मानचित्र प्रस्ताव में यथा स्थान संलग्न करा दिया गया है ।
2	प्रस्ताव में वनाधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित ग्राम सभा, उप जिलास्तरीय समिति एवं जिलास्तरीय समिति तथा जिलाधिकारी, सोनभद्र का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी सोनभद्र के स्तर से जारी वांछित प्रमाण-पत्र सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तुत करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है जो वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-23 पर संलग्न है ।
3	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-15 पर संलग्न संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में निरीक्षण की तिथि अंकित नहीं है।	संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र में तिथि अंकित करा दिया गया है ।
4	परियोजना की सक्षम स्तर से स्वीकृति आदेश पठनीय नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में परियोजना से संबंधित स्वीकृति आदेश की पठनीय प्रति प्रस्ताव में संलग्न करा दिया गया है ।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम०पी०सिंह)

वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि: अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, रेनुकूट-सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम०पी०सिंह)

वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट